राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(316) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई–जी/अभि./तक. अनु. समिति/2017–18 जयपुर, दि. 22 अगस्त, 2017

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक शासन सचिव, ग्रामीण विकास महोदय की अध्यक्षता में **दिनांक 08.08.2017 को** आहुत की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारियो का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मुख्य एजेण्डा बिन्दु एवं लिये गये निर्णय/निर्देश निम्नानुसार है:–

1. **एलईडी लाईट से संबंधित तकनीकी विनिर्देशों का अनुमोदन पर चर्चा–**

अधीक्षण अभियंता, पंचायती राज विभाग द्वारा प्रेषित एलईडी लाईट से संबंधित तकनीकी विनिर्देशों के सम्बंध में विस्तार से चर्चा की गई। तैयार किये गये एलईडी लाईट से संबंधित तकनीकी विनिर्देश जटिल पाये गये है। इन्हे ग्रामीण विकास की दृष्टि में सरल करने की आवश्यकता महसूस की गई। बैठक में प्रारम्भिक तौर पर जिलों के अधिशाषी अभियंताओं से विस्तार से चर्चा के दौरान गांव की गलिया व रास्ते के जक्शन पर प्रत्येक रास्तें प्रवेश के लिये अलग–अलग एलईडी लाईट की व्यवस्था करने एवं सडक की चौडाई के अनुसार एलईडी लाईट की ऊँचाई निर्धारित करने के सुझाव प्राप्त हुये है। शासन सचिव महोदय द्वारा गांवों की भौगौलिक स्थिति एवं वर्तमान विद्युत व्यवस्था के अनुरूप वास्तविक रूप से लगाये जाने वाले एलईडी लाईटों का स्पष्ट मापदण्ड एवं वास्तविक प्रस्ताव तैयार कर आगामी बैठक में विभाग की राय के साथ प्रस्तुत करने हेतु अधीक्षण अभियंता, पंचायती राज को निर्देशित किया गया।

2. **बाडमेर जिले में वर्ष 2017–18 की बीएसआर सॉफ्टवेयर से सृजित परिवहन दरों के कम में जिले से प्राप्त प्रस्ताव/समस्या पर चर्चा –**

बाडमेर जिले के सरपंच एसोसिएशन द्वारा पूर्व में प्रचलित प्रकिया (एक्सल फोरमेट) से सृजित दर की तुलना में सॉफ्टवेयर से वर्ष 2017–18 की सृजित बीएसआर में परिवहन दरो में कमी होने बाबत् सूचित करते हुए पूर्व में प्रचलित प्रकिया (एक्सल फोरमेट) से बीएसआर परिवहन दरें तैयार कराने एवं दर विश्लेषण में डीजल एवं मोबिल ऑयल की राशि अलग से देने के अनुरोध पर तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 15.06.2017 के निर्णय बिन्दु संख्या– 2 के अनुसार अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद् बाडमेर से पूर्व में प्रचलित ऑफलाइन एक्सल फोरमेट प्रकिया व वर्तमान सॉफ्टवेयर प्रकिया से सृजित दरों की तुलना व निर्धारित गुणांक आदि में अंतर के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण चाहे गये थे, परन्तु वांछित विवरण/सूचना आदिनांक तक अप्राप्त है। पंचायत समिति बायतू द्वारा बीएसआर सॉफ्टवेयर से सृजित दरों की तुलना पूर्व में प्रचलित ऑफलाइन एक्सल फोरमेट प्रकिया से सृजित दर एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की परिवहन दरों से तुलना की गई एवं इस सम्बन्ध में बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। पूर्व में प्रचलित प्रकिया (एक्सल फोरमेट) में उपकरण की दर विदआउट पीओएल एवं डीजल व मोबिल ऑयल का खर्च दर विश्लेषण में जोडा हुआ था, जबकि बाजार में उपकरण पीओएल एवं वाहन चालक सहित उपलब्ध होता है। इस प्रकार पीओएल के दोहरें भुगतान की प्रथा को समाप्त करते हुए तथा पीडब्ल्यूडी के मापदण्ड अनुसार परिवहन दर विश्लेषण के नवीन गुणांक निर्धारित करते हुए बीएसआर सॉफ्टवेयर में संशोधन कर लागू किया गया है। पूर्व में प्रचलित ऑफलाइन एक्सल फोरमेट प्रकिया से सृजित बीएसआर एवं वर्तमान में प्रचलित सॉफ्टवेयर से सृजित बीएसआर तथा पीडब्ल्यूडी बीएसआर की दरों की तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की परिवहन दरें काफी कम है। वर्तमान में बीएसआर सॉफ्टवेयर की परिवहन दरें वास्तविकता के अनुरूप पाई गई।

इस पर अधीक्षण अभियंता, ग्रावि द्वारा अवगत कराया गया कि सरपंच एसोसिएशन के अनुसार बाडमेर जिलें में प्रारम्भिक 20 कि.मी. तक दरें वाजिब लगती है, परन्तु 20 कि.मी. की लीड के पश्चात् प्रति कि.मी. वृद्धि दर के अनुसार जिले में परिवहन दरें वाजिब नहीं है। इस पर शासन सचिव महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि पंचायत समितिवार बीएसआर दरें तकमीने तैयार करने आदि के लिए है। वास्तविक कार्य कराने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जिनमें वास्तविकता के आधार पर प्राप्त टेण्डर प्रीमियम के अनुसार सम्बन्धित परिवहन आदि सहित सामग्री क्रय का भुगतान किया जाता है। अतः परिवहन हेतु वर्तमान बीएसआर सॉफ्टवेयर से सृजित दर एवं निर्धारित प्रकिया, गुणांक आदि उचित है।

बाडमेर जिले के पत्रांक जीपबा/2017–18/769 दिनांक 01.08.2017 एवं 772 दिनांक 02.08.2017 पंचायत समिति सिवाना में उपकरण–ट्रक 9 टन की दर रू. 3100 (POL चालक सहित) अनुमोदित की गई है, परन्तु कम्प्यूटर ऑपरेटर से त्रुटिवश रू. 5500 ऑनलाईन बीएसआर में टाईप होने का प्रासांगिक पत्रों में उल्लेख करते हुए जिला दरं निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 27.03.2017 बैठक में उपकरण दर अनुसूची कम संख्या 3 पर अंकित ट्रक 9 टन की अनुमोदित दर रू. 3100 अनुसार ऑन–लाईन सॉफ्टवेयर में संशोधन करने हेतु सूचित किया है।

बीएसआर सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित ऑनलाईन उपकरणों की दर अनुसूची में पंचायत समिति सिवाना में उपकरण– ट्रक 9 टन की दर्ज दर रू. 5500 के अलावा पंचायत समिति धोरीमन्ना व सिणधरी के लिए भी रू. 3500 दशाई गई है। जिनका जिले के उक्त प्रासंगिक पत्रों में कोई उल्लेख नहीं है, जबकि जिला दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 27.03.2017 में **अनुमोदित फोर्मेट संख्या–3 उपकरण की सूची में मात्र सभी पंचायत समितियों में समान दर ही अनुमोदित दर रू. 3100 का ही उल्लेख है।** इसी प्रकार इन तीनों पंचायत समितियों में दर्ज इस प्रकार बाडमेर जिले की कुल तीन पंचायत समितियों में दर्ज ऑनलाईन बीएसआर में लगभग सभी उपकरण दरों में काफी अंतर व त्रुटियाँ पाई गई एवं बीएसआर सॉफ्टवेयर में दर गलत इन्द्राज कर अनुमोदित की है, जबकि जिले के प्रासंगिक पत्रों के द्वारा मात्र एक पंचायत समिति सिवाना में ही त्रुटिवश एक ही आईटम की गलत दर टाईप होने बाबत् सूचित करते हुए पंचायत समिति सिवाना की ऑनलाईन दर में संशोधन करने हेतु लिखा है। वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिला स्तर पर यथा समय ऑनलाईन बीएसआर दरों का जांच/मिलान नहीं किया गया।

बीएसआर वर्ष 2017–18 दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी करने के उपरान्त अबतक पंचायत समितियों व अन्य के द्वारा बीएसआर सृजित कर काम में ली गई है/ली जा रही है। इस चार माह की अवधि के दौरान जिला स्तर से ऑनलाईन बीएसआर में अनुमोदित दर (वास्तविक अनुमोदन से अधिक) दर भुगतान आदि में उपयोग जा रही/ली गई होगी, यह एक गंभीर विषय है। इस प्रकरण की जिला स्तर से जांच एवं अबतक हुए अधिक भुगतान/व्यय की वसूली करवायी जानी अपेक्षित है। इस प्रकार के गंभीर कृत्य के लिए शासन सचिव महोदय, ग्रावि द्वारा जिला स्तर से जांच कराकर, संबंधित उत्तरदायी एवं दोषी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने तथा वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद्, बाडमेर को निर्देशित किया गया।

3. **श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 3.7.2017 के द्वारा दिनांक 1.1.2017 से पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों का विभागीय कार्यो के लिए लागू करने बाबत् चर्चा –**

श्रम विभाग की गत वर्ष की अधिसूचना दिनांक 5.7.2016 के द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरें पुनरीक्षित कर दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी की गई थी। विभाग द्वारा इन पुनरीक्षित दरों का दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी करते हुए बीएसआर सॉफ्टवेयर में सम्मिलित किया गया है। श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 3.7.2017 के द्वारा गत वर्ष की अधिसूचना 05.07.2016 के द्वारा जारी पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों का अतिक्रमण करते हुए नवीन दरें निम्नानुसार जारी कर दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी की है।

क्र. सं.	श्रमिक श्रेणी	पूर्व में जारी न्यूनतम मजदूरी दर (विभाग में प्रभावी दि. 01.04.2017)	पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दर
1	अकुशल	201	207
2	अर्द्धकुशल	211	217
3	कुशल	221	227
4	उच्च कुशल	271	277

इन दरों का उपयोग विभागीय बीएसआर हेतु किया जाना है एवं तदानुसार अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) को पुनरीक्षित दरों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी देय है। चूंकि गत वर्ष की पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरें, जो कि विभाग द्वारा 01.04.2017 से लागू की है एवं सम्बन्धित जिलों/पंचायत समिति द्वारा वर्ष 2017–18 की बीएसआर सृजित कर काम में ली जा रही है। अतः अधिसूचना दिनांक 03.05.2017 के द्वारा पुनरीक्षित अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) की न्यूनतम मजदूरी दर आदेश जारी होने के दिनांक से लागू करने का निर्णय लिया गया एवं इन पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों का इन्द्राज/अपडेट वर्ष 2017–18 की वर्तमान बीएसआर सॉफ्टवेयर में नहीं करने का निर्णय लिया गया। पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दर एवं बीएसआर में दर्ज/इन्द्राज की अंतर राशि का भुगतान कार्य के तकमीने में पृथक से सम्मिलित करते हुए सम्बन्धित कार्यकारी द्वारा अकुशल व अर्द्धकुशल (मेट) को कर दिया जावे। तद्नुसार कार्य की नियमानुसार संशोधित तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पृथक से जारी की जावें।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
4 निजी सचिव, निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण. विभाग।
5 जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान।
6 अति0 निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण. विभाग।
7 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
8 अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गॉधी नरेगा।
9 अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज।
10 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
11 अधिशाषी अभियंता (अभि./ईजीएस) जिला परिषद्, समस्त, राजस्थान ।
12 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
13 रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि) 22/8/17